

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/युगलपीठ/ /2025 दि0 लखनऊ: अक्टूबर 03, 2025

--- संशोधित आदेश ---

मुख्यालय के आदेशांक 1167/2025 दिनांक 28-08-2025 के द्वारा माह अक्टूबर, 2025 में जनपद वाराणसी में युगलपीठ का गठन दिनांक 06-10-2025 से 10-10-2025, 13-10-2025 से 17-10-2025 एवं 27-10-2025 से 30-10-2025 तक किया गया था। उपरोक्त तीनों युगलपीठों में विभागीय सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-5 वाराणसी को नामित किया गया था।

न्यायिक सदस्य, पीठ-1, वाराणसी के पत्र संख्या-653 दिनांक 24-09-2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि सदस्य, पीठ-5, वाराणसी चिकित्सा/उपार्जित अवकाश पर चल रही हैं।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश सं0 1167/2025 दिनांक 24-09-2025 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, जनपद वाराणसी में गठित युगल पीठ दिनांक 06-10-2025 से 10-10-2025 तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है एवं सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-5 वाराणसी के स्थान पर दिनांक 13-10-2025 से दिनांक 17-10-2025 तक गठित युगल पीठ में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, कानपुर एवं दिनांक 27-10-2025 से दिनांक 30-10-2025 तक गठित युगल पीठ में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, कानपुर को नामित किया जाता है। उपरोक्त गठित युगल पीठ कार्यक्रम की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

Sd/-03.10.2025

(रमेश चन्द-1)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/1266/2025 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाराणसी पीठ-1,2,3,4,5 व 6, वाराणसी।
- 2- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, कानपुर।
- 3- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, कानपुर।
- 4- वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/वेब अधिकारी/नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,

निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।